भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2019
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना में सुधार

2019. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देने हेतु कोई नए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के तहत कार्यस्थलों पर मशीनरी का उपयोग कम करने या उपयोग न करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराती है , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होते हैं। यह योजना नरेगासॉफ्ट नामक एक पूर्णत : एकीकृत लेनदेन आधारित एमआईएस प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित की जाती है , जिसके माध्यम से , प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन, जॉब कार्ड जारी करना, मांग की स्वीकृति, मस्टर रोल जारी करना, माप, भुगतान

की स्वीकृति और अंततः डीबीटी -पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान से संबंधित योजना के सभी पहलुओं की निगरानी की जाती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना का मुख्य फोकस है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रक्रिया अपनाई है। योजना के अंतर्गत जारी निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए की गई विभिन्न निगरानी एवं मूल्यांकन प्रबंधों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिक विस्थापन मशीन के उपयोग के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की अनुसूची-I के पैरा 22 के अनुसार, "जहां तक संभव हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके किए जाएंगे और किसी भी श्रमिक विस्थापन मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा"।

हालांकि, ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जिन्हें शारीरिक श्रम से नहीं किया जा सकता , जहां कार्य की गुणवत्ता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए मशीनों का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। जब भी श्रम विस्थापन मशीनों के उपयोग का कोई मामला मंत्रालय के संज्ञान में आता है, तो संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करके ऐसे मामलों की जांच की जाती है तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस):** यह महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्यस्थलों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) पर श्रमिकों की उपस्थिति को जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ दिन में दो बार दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप कार्यक्रम पर नागरिक निगरानी बढ़ाने में सहायता करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है।

iii. **क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एपलिकेशन :** यह ऐप राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय दौरे के जांच -परिणामों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्पड और जियोटैग्ड फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा, यह ऐप कार्यस्थल के दौरे की बाधारहित रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। यह ऐप क्षेत्रीय दौरे के जांच -परिणामों को रिकॉर्ड करता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे के परिणाम की रिपोर्ट दिखाता है।

iv. **जीआईएस आधारित योजना - अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग :** देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली दृष्टिकोण) तैयार करना।

v. **युक्तधारा : जीआईएस आधारित योजना उपकरण –** महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए इसरो-एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" बनाया गया है।

vi. **एसईसीयूआरई (SECURE) - रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने हेतु अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर :-** इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की लागत के अनुमान गणना के लिए किया जाता है।

vii. **जियो नरेगा**: इस ऐप को अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है ताकि परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "निर्माण के दौरान" और "निर्माण के बाद" चरणों में इसे जियोटैगिंग करके परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक किया जा सके।

viii. **जलदूत ऐप:** देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए जलदूत ऐप बनाया गया है। जलदूत ऐप से ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को मापा जाता है।

ix. **जनमनरेगा ऐप:** यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों को सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में मदद करता है। नागरिक जागरूकता योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन की कुंजी है।

x. **लोकपाल ऐप-** महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों जैसे भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर आसानी से नज़र रखने और समय पर आदेश पारित करने तथा वेबसाइट पर तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट को आसानी से अपलोड करने के लिए एक लोकपाल ऐप बनाया गया है।

xi. **सामाजिक लेखा परीक्षा:** अधिनियम के अधिदेश के अनुसार , मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक संस्थागत संरचना की स्थापना पर जोर दिया है। मंत्रालय के लगातार प्रयासों से कुल 27 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित कर लीं हैं।

इसके अलावा, कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियमित और विशेष निगरानी, केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की टीम द्वारा निगरानी , सामान्य समीक्षा मिशन टीमों द्वारा निगरानी दौरे , क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ में, समय-समय पर राज्यों की राज्य-विशिष्ट समीक्षा भी की जाती है।